

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
75/2025

दायर दिनांक  
02.05.2025

निर्णय दिनांक  
23.05.2025

अनवान

1. रामा पिता हरा जाति भांबी आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोपी पत्नी रामा जाति भांबी आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

वनाम

1. रतनलाल पिता छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. लेहरूलाल पिता छीतर जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. अमरचन्द पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. देवीलाल पिता चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. जीतु पिता सुरजमल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. बाबरू पिता दयाराम जाति चमार आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. सोहनदास पिता गोवर्धन दास वैरागी आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रतन पिता हीरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. बंशीलाल पिता रामचन्द्र सुखवाल आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. चुन्नीलाल पिता रघुनाथ जाति भांबी आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट  
एकतरफा

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

-:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेवदा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 138 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1259, 1260, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 499, 500, 501, 503 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 3.42 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 140 के आ0स0 1553/1309 रकबा 0.61 हैक्ट0

Page | 1



सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़


प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 23.05.2025 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात मौजा भेवदा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 138 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1259, 1260, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 499, 500, 501, 503 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 3.42 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 140 के आ0सं0 1553/1309 रकबा 0.61 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 धमाणा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सहस्रमुखी)  
(सहस्रमुखी)  
कपासनकपासन चित्तौड़गढ़